

जा.प.सं. 189/2023 खातून / बुद्ध

JCMS NO. 2023/483

10/2/2024


पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी  
राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः  
पत्रावली दिनांक 10/9/2024 को पेश हो।

29/1/24


डा.पी. वकील द्वारा जा.प. उल्लूत करने पर पत्रावली  
आप मंत्र पर ली गई। वकील डा.पी. ने कथन  
किया है कि पञ्जाब के मध्य आपसी सामंजस्य  
संस्थापीनाम हो चुका है। अतः जा.पत्र 212  
RTA Act आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः जा.पत्र  
पत्र परिशे बिडोल खारिज किया है। तथा जा.पत्र  
212 RTA Act परिशे स्वीकार किया जाता है।  
पत्रावली के सल बुमार होकर नंबर से कम होकर  
दाखिल हफ्तर ही।

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिंह ( डाडवाना-कुचामन )

कुचामन सिंह



अ.नि. पाकन



अ.नि. आरिखा

